मंडल की 27.4.2018 को हुई बैठक में लिए गये निर्णय

क्र.	संकल्प सं.	विषय	लिए गये निर्णय	विभाग/ प्रभाग
1.	1	मंडल की 13 मार्च, 2018 को हुई बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टी.	मंडल की 13.3.2018 को हुई बैठक के कार्यवृत्त का सुधारों / संशोधनों के साथ पुष्टि की जाती है.	सामान्य प्रशासन
2.	2	मुंबई पोर्ट ट्रस्ट मंडल का पुर्नगठन.	निम्न के अनुसार समितियों का गठन करने के लिए मंजूरी दी गयी है: (क) यातायात समिति- उपाध्यक्ष, दोनों श्रम न्यासी, वि.स.एवं मु.ले.अ, मुंपोट्र, यातायात प्रबंधक, मुंपोट्र तथा सीमा शुल्क उपायुक्त (निपटान). (ख) वित्त एवं सामान्य समिति- उपाध्यक्ष, दोनों श्रम न्यासी, उप महानिरीक्षक केबीएल भटनागर, वि.स. एवं मु.ले.अ, मुंपोट्र, तथा सचिव, मुंपोट्र. (ग) सीसीएफ के अधीन कार्यकारी समिति- अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, दोनों श्रम न्यासी, सचिव, मुंपोट्र, वि.स. एवं मु.ले.अ, मुंपोट्र. (घ) सीएसआर समिति - अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, दोनों श्रम न्यासी, सचिव तथा वि.स. एवं मु.ले.अ, मुंपोट्र.	सामान्य प्रशासन
3.	3	मुंबई पोर्ट ट्रस्ट क्षेत्रों में अनाधिकृत पार्किंग के लिए दंडात्मक शुल्क.	टिप्पणी के परिच्छेद 3 का मुख्य अभियंता का प्रस्ताव अनुमादित किया जाता है.	स्थापत्य
4.	4	प्रशिक्षु अधिनियम, 1961 के अधीन व 2017-18 के लिए मुंबई पोर्ट ट्रस्ट प्रस्तावित 11 स्नातक / तकनीशियन तथ 139 पी ए एस ए ए व्यवसाय प्रशिक्षुओं क नियुक्ति.	चर्चा टिप्पणी के समापन परिच्छेद में सुधारों सहित टिप्पणी के परिच्छेद 7 का मुख्य यांत्रिक अभियंता का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है.	यांत्रिकी
5.	5	इंदिरा गोदी स्थित आच्छादित गोदाम क्रं.14 का निर्माण.	टिप्पणी के परिच्छेद 8 का मुख्य अभियंता का प्रस्ताव चर्चा टिप्पणी के समापन परिच्छेद में लिए गये निर्णय के अधीन अनुमोदित किया जाता है.	स्थापत्य

क्र.	संकल्प सं.	विषय	लिए गये निर्णय	विभाग/ प्रभाग
6.	6	खर्चों का पूँजीकरण तथा इनपूट टॅक्स क्रेडिट (आइ टी सी) की अस्वीकार्यता.	टिप्पणी के परिच्छेद 5 का विस एवं मुलेअ का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है.	वित्त
7.	7	मुंबई पोर्ट में खाली करने तथा वितरण करने हेतू अन्य पोर्टों से सडक मार्ग द्वारा लाया गया कंटेनर / कंटेनर युक्त माल पर उगाही शुल्क.	टिप्पणी के परिच्छेद 10 का यातायात प्रबंधक के प्रस्ताव को कार्योत्तर मंजूरी अनुमोदित की जाती है.	यातायात
8.	8	आइ एस पी एस के लिए हरीत द्वार, नील द्वार तथा पीत द्वार स्थित एक्स-रे बैगेज स्कॅनिंग मशिन्स रखने के लिए कमरे का निर्माण.	टिप्पणी के परिच्छेद 6 का मुख्य अभियंता का प्रस्ताव अनुमादित किया जाता है.	स्थापत्य
9.	9	11 महिने के लिए लायसेंस आधार पर मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के 14 व्हिक्टोरिया गोदी स्थित तटीय कार्यकलापों अर्थात भंडारण/माल परिचालन सहित अथवा बिना सुविधाएँ स्थापित, निर्धारित क्षेत्र के भीतर माल सम्हलाई उपकरण के लिए खुली / आच्छादीत जगह का आबंटन. निविदा सं.टी एम/आय डी/04/2017.	कार्योत्तर मंजूरी दी गयी है - (क) टिप्पणी के परिच्छेद 9 का यातायात प्रबंधक का प्रस्ताव. (ख) चर्चा के टिप्पणी मे यथा स्पष्ट किये तकनीकी मानदंड में संशोधन.	यातायात
10.	10	बरसाती अवधि के दौरान प्लेजर यॉटस का संचयन.	टिप्पणी के परिच्छेद 5 तथा 8 पर स्थित यातायात प्रबंधक के प्रस्ताव अनुमोदित किये जाते हैं.	यातायात
11.	11	तेल तथा प्राकृतिक गैस निगम लि. (ओएनजीसी) (बीयुटी, एचयुटी तथा एमयुटी पाइपलाइन्स) के 12 पाइपलाइन्स के संबंध में विशेष गमनाधिकार शुल्क लागू.	टिप्पणी के परिच्छेद 14 का मु.अ. तथा विभाग प्रमुख (संपदा) का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है.	संपदा
12.	12	भंडार भवन, सामग्री प्रबंधन प्रभाग में पडी हुई असंबध्द फायबर नौका (1 क्र.) का निपटान.	टिप्पणी के परिच्छेद 4 का सामग्री प्रबंधक का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है.	यांत्रिकी
13.	13	मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के नगर क्षेत्र के लिए मास्टर प्लॅन को अनुमोदन.	(i) टिप्पणी के परिच्छेद 10 का मुख्य अभियंता का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है. (ii) एच सी पी डिजाइन, प्लॅनिंग एवं मॅनजमेन्ट प्रा. लि., अहमदाबाद के साथ हुआ ज्ञापन समझौता औपचारिक अनुमोदन की प्राप्ति होने तक स्थागित रखे.	स्थापत्य

क्र.	संकल्प सं.	विषय	लिए गये निर्णय	विभाग/ प्रभाग
14.	14	निविदा सं.ई-टी.22/2016 - भाग-I: रावली जंक्शन वड़ाला से गाडी अड्डा, शिवडी के रेल्वे पटरियों का अनुरक्षण तथा भाग-II: गाडी अड्डा शिवडी से ग्रीन गेट, इं.गो. के रेल्वे पटरियों का अनुरक्षण.	टिप्पणी के परिच्छेद 4 का मुख्य अभियंता का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है.	स्थापत्य
15.	15	निविदा सं.ई.47/2017- वर्ष 2017-18 से तीन वर्ष के लिए अप्रोच चॅनल, टर्निंग सर्कल्स, आऊट साइड बर्थ्स, इंदिरा डॉक बेसिन, बंदर क्षेत्र तथा मुंबई पोर्ट के लंगरगाह में अनुरक्षण निकर्षण - ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (डिसीआइ) के जोखिम तथा लागत पर शेष निकर्षण कार्य बंद तथा पूरा करना.	1. परिच्छेद 7(a) का मुख्य अभियंता का प्रस्ताव अनुमोदीत किया जाता है. 2. अनुमोदन दिया गया है: (क) केवल इस संविदा के लिए मुंपोट्र में निविदा प्रक्रिया में भाग लेने संबंधी डीसीआई पर रोक. (ख) अतिरिक्त निकर्षण कार्य की रक्कम ₹4,09,50,484 माल और सेवा कर सहित आंतरिक भुगतान करना.	स्थापत्य
16.	16	पोर्ट ट्रस्ट अस्पताल में उपयोग करने के लिए फूड ट्रॉली (बेड ट्रॉली) = 40 नगों की खरीद.	टिप्पणी के परिच्छेद 3 का मुख्य चिकित्सा अधिकारी का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है.	चिकित्सा
17.	17	अनुबंध के आधारपर सलाहकार (संपदा) की नियुक्ति.	1. टिप्पणी के परिच्छेद 8 का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है. 2. सलाहकार (संपदा) की नियुक्ति के छह महिनों के बाद उसके द्वारा किये गये कार्य के संबंध में मुख्य अभियंता तथा विभाग प्रमुख (संपदा) मण्डल को अवगत करेंगे.	सामान्य प्रशासन (मानव संसाधन)
18.	18	रेलवे यार्ड का युक्तिसंगत अध्ययन.	टिप्पणी के परिच्छेद 6 का रेल प्रबंधक का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है.	रेल
19.	19	ओसीटी परियोजना - ओसीटी का वैकल्पिक उपयोग के लिए राजस्व हिस्से का प्रतिशत समीक्षा करने के लिए समिति का पुर्नगठन.	टिप्पणी के परिच्छेद 4 का मुख्य अभियंता का प्रस्ताव अनुमोदीत किया जाता है.	स्थापत्य

क्र.	संकल्प सं.	विषय	लिए गये निर्णय	विभाग/ प्रभाग
20.	20	घरेलू क्रुझ - पांटून ऑफ क्रॉस टापू	टिप्पणी के परिच्छेद 4 का उप संरक्षक के प्रस्ताव को कार्योत्तर मंजूरी अनुमोदित हुई है.	समुद्री
21.	21	रेवस पोर्ट का विकास - स्थान उपयुक्तता विश्लेषण	टिप्पणी के परिच्छेद 8 का मुख्य अभियंता का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है.	स्थापत्य
22.	22	ज.ने.प. न्यास के भिवंडी माल गुदाम की ओर जानेवाले मुंबई खपत नौभार तथा बाद में खपत हेतु मुंबई आनेवाले नौभार के कारण नवी मुंबई तथा ठाणे में होनेवाली यातयात की भीड़भाड तथा वाहनों की वजह से होनेवाले प्रदूषण को कम करना.	टिप्पणी के परिच्छेद 10 का यातायात प्रबंधक का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है.	यातायात
23.	23	प्रिन्सेस गोदी स्थित प्रस्तावित घरेलू क्रुझ, मरीना तथा रो-रो पॅक्स टर्मिनल हेतू यातायात निष्क्रमण योजना के लिए लागत को मंजूरी.	टिप्पणी के परिच्छेद 7 का मुख्य अभियंता का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है.	स्थापत्य
24.	24	मास्टर प्लॅनिंग अनुभाग के लिए मनुष्यबल सुदृढ करना.	टिप्पणी के परिच्छेद 6 का मुख्य अभियंता का प्रस्ताव अनुमादित किया जाता है.	स्थापत्य
25.	25	किराये पर दिए भूखण्डों के बीच अंसचालित रेल पटरियों के क्षेत्र में पाइप्स का भंडारण. - इनको छोडने के लिए वसूली शुल्क.	टिप्पणी के परिच्छेद 10 का मुख्य अभियंता तथा विभाग प्रमुख (संपदा) का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है.	संपदा
26.	26	टाटा विश्वस्त द्वारा सागर उपवन बगीचा का पुनर्विकास तथा अनुरक्षण.	टिप्पणी के परिच्छेद 7 का मुख्य अभियंता का प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है.	स्थापत्य
